न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 10/2023
GCMS No-2023/16

प्रार्थी:- बनाम अप्रार्थीगण :-

आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली

श्री किशन कुमार वैष्णव पुत्र श्री गोविन्ददास वैष्णव मैसर्स गोविन्द डेयरी पुराना बस स्टेण्ड पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांकः- 13-3-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 11.10.2022 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स गोविन्द डेयरी पुराना बस स्टेण्ड पाली पर गये तथा अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। फर्म पर अप्रार्थी आमजन को उपयोग हेतु मिक्स दुध बेच रहा था। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में 08-10 लीटर मिक्स दुध रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 80/- नकद देकर 2 लीटर मिक्स दुध खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की। रसीद पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा 02 लीटर मिक्स दुध को अच्छी तरह से हिला मिलाकर नियमानुसार चार भागों में बांटकर उन पर डी ओ कोड व सीरियल नम्बर नाम पता वस्तु का नाम नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अकिंत किये। चारों नमुना के चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर **आर 1540** अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी (मालिक) व गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट को अगले कार्यदिवस पर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया मिक्स दुध का नमूने को अमानक Sub-standard का होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard मिक्स दुध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही दोहरायी जायेगी एवं पुरी तरह से सावधानी बरती जायेगी। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.10.2022 को अप्रार्थी की फर्म से जांच हेतु मिक्स दुध क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1540 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जाचं हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1719/एक्ट/2022/1721 दिनांक 19.10.2022 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1540 को (Sub-standard) अमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चुंकि प्रकरण में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिक्स दुध Sub-standard का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 13-3-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली